चेकलिस्ट क्रमांक–11

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग– **II**

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक– FP/CG/OFC/42688/2019

1.	परियोजना /स्कीम का स्थान :–	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii)	जिला	राजनांदगांव
(iii)	वन प्रभाग	राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के लिये 13.038 हे. वनभूमि एवं 0.486 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 13.524 हे. वनभूमि की आवश्यकता आवेदक संस्थान को है।
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन – 2.871 हे. संरक्षित वन – 10.167 हे. राजस्व वन – 0.486 हे. कुल रकबा – 13.524 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. –2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए ।	आवश्यकता नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।	आवेदित वनभूमि वनक्षेत्र से गुजर रहे मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नहीं।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल /प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।	नहीं है ।
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है । यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।	आवेदित वनभूमि की आवश्यकता भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के लिये है जो अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभ चल रहे हैं ।	नहीं हुआ है ।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार ।	आवश्यकता नही है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	आवश्यकता नही है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढ़ांचा आदि ।	आवश्यक नहीं है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।	आवश्यक नहीं है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	आवश्यक नहीं है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को	आवेदित वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति नहीं पाई जाती है। आवेदित वनभूमि में कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/

	दर्शाते हुए (संलग्न करें)	पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है। आवेदित वनभूमि की मांग भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य के लिये की गई है जो अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है।
6.	विभाग /जिला प्रोफाईल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	राजनांदगांव जिला – 5378.940 वर्ग कि.मी.
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	राजनांदगांव वनमंडल – 92837.551 हे.
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	16 प्रकरणों में रकबा 536.003 हे.
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर	 वनभूमि में – 731.190 हे. वनेत्तर भूमि – 69.280 हे.
(v)	2019–20 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर ।	 वनभूमि में – 731.190 हे. वनेत्तर भूमि – 69.280 हे.
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।	वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य से दूरस्थ वनांचल के ग्रामों की आबादी को दूरसंचार व्यवस्था का लाभ प्राप्त होगा इसलिये प्रकरण को स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

Date : 19.05.2020
राजनांदगांव

वनमंडलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल,
जिला– राजनांदगांव, (छत्तीसगढ़).